भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1034

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

कानूनी सहायता कार्यक्रम

1034. श्री कृष्णपालसिंह यादव :

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :

डॉ. सुजय विखे पाटील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) वर्तमान में सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कानूनी सहायता कार्यक्रमों तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार आवंटित / उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े कितने व्यक्तियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की गई थी ;

(ग) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में गरीबतम लोगों को कानूनी सेवाओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को एक समान निःशुल्क और व्यापक कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एन ए एल एस ए) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एल एस ए) अधिनियम, 1987 के अधीन किया गया है, जो समाज के दुर्बल वर्गों जिसके अंतर्गत् धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राही भी हैं, को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आर्थिक या अन्य नि:शक्ताओ के कारण कोई भी नागरिक सुरक्षित न्याय पाने के अवसर से वंचित न

रह जाए, और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विधिक प्रणाली का संचालन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन हो, लोक अदालतों का आयोजन करता है ।

इस प्रयोजन के लिए, उच्चतम न्यायालय से तालुक न्यायालय स्तर तक विधिक सेवा संस्थाएं गठित की गई हैं । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप/ कार्यक्रमों जिसके अंतर्गत् विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरुकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/ सशक्तीकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब, लोक अदालत और पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम का कार्यान्वयन है । सहायता अनुदान के अधीन निधियां वार्षिक आधार पर सरकार द्वारा नालसा को आबंटित और स्वीकृत की जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को नालसा द्वारा आबंटित की गई निधियों का विवरण उपाबंध-क पर दिया गया है । पिछले तीन वर्षो के दौरान जो प्रो-बोनो विधिक सेवाएं प्रदत्त की गई थी उन व्यक्तियों की संख्या से संबंधित विवरण उपाबंध- ख पर दिया गया है ।

(ग) और (घ) : न्यायालय तक सम्यापूर्ण पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने जनसाधरण की विधिक सहायता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एंड्रायड और आई ओ एस पर विधिक सेवा मोबाइल एप आरंभ शुरु कीया है ।

इसके अतिरिक्त, न्याय तक पहुंच पर 'भारत में न्याय तक समग्र पहुंच हेतु नवाचार समाधान तैयार करना' नामक एक स्कीम आरंभ की गई है। जिसका उद्देश्य टेली-लॉ के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह और परामर्श को सुदृढ़ करना और अगम्यतक पहुंचना; न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवा) कार्यक्रम के माध्यम से प्रो-बोनो विधिक सेवाओं के परिदान को अखिल-भारतीय वितरण ढ़ॉचा सुनिश्चित करना; अपने न्याय मित्र कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर पर 15 वर्ष पुराने लंबित मामलों के निपटान की सुकर बनाना और अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना है। यह स्कीम प्रौधोगिकी का उपयोग करती है। इसके हस्तक्षेप का समर्थन करने और समाज के निर्धन और दुर्लभ वर्गों के लिए विधि सेवाओं की आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक/ स्थानीय बोली और प्रासंगिक आई ई सी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री को विकसित करती है ।

****

उपाबंध-क

डा. कृष्णपाल सिंह यादव और अन्य, संसद सदस्यों, द्वारा कानूनी सहायता कार्यक्रम के संबंध में उठाये गये लोकसभा अंताराकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण				
पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित की गई निधियों (रुपये में) के ब्यौरें को दर्शाने वाला विवरण				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	आंध्र प्रदेश	2,00,00,000	3,40,00,000	5,00,00,000
2	अरुणाचल प्रदेश	2,00,00,000	1,00,00,000	1,40,00,000
3	असम	3,00,00,000	3,70,00,000	6,40,00,000
4	बिहार	4,50,00,000	3,70,00,000	7,60,00,000
5	छत्तीसगढ़	6,00,00,000	3,95,00,000	5,25,00,000
6	गोवा	0	50,00,000	15,00,000
7	गुजरात	3,50,00,000	3,45,00,000	5,75,00,000
8	हरियाणा	9,00,00,000	4,50,00,000	6,50,00,000
9	हिमाचल प्रदेश	4,00,00,000	1,85,00,000	2,45,00,000
10	जम्मू - कश्मीर	6,00,00,000	3,50,00,000	4,65,00,000
11	झारखंड	4,00,00,000	4,00,00,000	7,35,00,000
12	कर्नाटक	7,00,00,000	6,25,00,000	7,50,00,000
13	केरल	11,00,00,000	5,25,00,000	9,90,00,000
14	मध्य प्रदेश	4,50,00,000	3,00,00,000	5,00,00,000
15	महाराष्ट्र	6,00,00,000	6,25,00,000	8,25,00,000
16	मणिपुर	4,00,00,000	1,00,00,000	1,05,00,000
17	मेघालय	1,00,00,000	50,00,000	50,00,000
18	मिजोरम	2,50,00,000	50,00,000	1,15,00,000
19	नागालैंड	2,50,00,000	50,00,000	1,15,00,000
20	ओडिशा	6,00,00,000	3,25,00,000	4,25,00,000
21	पंजाब	10,00,00,000	3,25,00,000	6,40,00,000
22	राजस्थान	6,50,00,000	4,55,00,000	7,00,00,000
23	सिक्किम	2,50,00,000	50,00,000	65,00,000
24	तमिलनाडु	5,00,00,000	4,20,00,000	6,00,00,000
25	तेलंगाना	3,50,00,000	3,50,00,000	4,10,00,000
26	त्रिपुरा	3,00,00,000	2,80,00,000	2,65,00,000
27	उत्तर प्रदेश	3,00,00,000	6,50,00,000	6,00,00,000
28	उत्तराखंड	2,00,00,000	2,50,00,000	2,55,00,000
29	पश्चिमी बंगाल	9,00,00,000	5,20,00,000	7,00,00,000
30	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31	चंडीगढ़	1,00,00,000	80,00,000	55,00,000
32	दादरा और नागर हवेली	0	2,50,000	0
33	दमन और दीव	0	2,50,000	0
34	दिल्ली	8,00,00,000	5,00,00,000	9,30,00,000
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	10,00,000	20,00,000
37	लद्दाख	0	0	65,00,000
38	उच्चतम न्यायालय विधि सेवा आयोग	0	1,00,00,000	10000000
	कुल योग	**1,42,00,00,000**	**1,00,00,00,000**	**1,45,30,00,000**

उपाबंध - ख

डा. कृष्णपाल सिंह यादव और अन्य, संसद सदस्यों द्वारा कानूनी सहायता कार्यक्रम के संबंध में उठाये गये लोकसभा अंताराकित प्रश्न संख्या 1034 जिसका उत्तर 22.07.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण				
पिछले तीन वर्षों के दौरान जो नि:शुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदत्त की गई थी उन व्यक्तियों की संख्या से संबंधित ब्यौरे की दर्शाने वाला विवरण				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	43	65	79
2	आंध्र प्रदेश	4,396	4,474	6,371
3	अरुणाचल प्रदेश	3,932	1,984	2,657
4	असम	8,002	10,027	1,10,254
5	बिहार	60,139	38,653	16,89,158
6	चंदीगढ	2,261	1,242	1,781
7	छत्तीसगढ़	81,713	26,814	42,394
8	दादरा और नागर हवेली	28	10	27
9	दमन और दीव	0	0	17
10	दिल्ली	79,458	82,131	79,055
11	गोवा	3,006	875	1,101
12	गुजरात	26,887	8,302	21,953
13	हरियाणा	19,019	11,059	23,260
14	हिमाचल प्रदेश	4,368	2,083	4,806
15	जम्मू - कश्मीर	4,961	7,675	8,870
16	झारखंड	30,530	1,31,691	6,49,481
17	कर्नाटक	1,45,015	23,211	32,794
18	केरल	71,058	11,242	16,895
19	लद्दाख	0	93	2,408
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	2,68,351	87,843	33,43,800
22	महाराष्ट्र	24,060	12,278	22,595
23	मणिपुर	18,257	56,635	22,651
24	मेघालय	2,914	2,131	2,346
25	मिजोरम	9,473	1,670	3,201
26	नागालैंड	3,691	4,231	7,750
27	ओडिशा	8,025	6,029	8,849
28	पुडुचेरी	1,295	309	884
29	पंजाब	1,27,829	27,096	36,404
30	राजस्थान	32,413	12,274	13,833
31	सिक्किम	928	702	986
32	तमिलनाडु	35,552	26,491	38,181
33	तेलंगाना	15,145	3,488	6,712
34	त्रिपुरा	13,595	2,156	2,671
35	उत्तर प्रदेश	60,819	3,545	1,32,629
36	उत्तराखंड	3,018	2,343	3,775
37	पश्चिमी बंगाल	41,956	20,906	29,015
	कुल योग	**12,12,137**	**6,31,758**	**63,69,643**

****